न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 38/2013 (उदयपुर आर्डर)

1. भीमा पिता भेरा जी गुर्जर, निवासी पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. बाबूलाल पिता भेरा जी गुर्जर, निवासी पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रताप पिता भेरा जी गुर्जर, निवासी पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. नारू पिता के''ा जी गुर्जर, निवासी पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. दौलतराम पिता के''ा जी गुर्जर, निवासी पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. भैरूलाल पिता के''ा जी गुर्जर, निवासी पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा प्रकरण स॰ राजस्व/2013/454, दिनांक 10.04.2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री जी.एस. मेहता अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

26–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पालीदाणा की आराजी नंबर 399 व 400 रकबर 1.6500 व 2.8400 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करन के आदे''ा दिनांक 10–04–2013 को दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–09–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की प्रति उन्हें दिनांक 05–09–2013 को प्राप्त हुई, जिस पर तुरन्त ही उनके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः न्यायहित में विलम्ब कण्डोन किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त आरक्षित आदे”ा विधि विरूद्ध है, क्योंकि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलान्ट का वर्शो से कब्जा चला आ रहा है। अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उन्हें होने की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण जाती है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्र”न है, राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का आदे”ा दिया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपना पुराना कब्जा बताता है, किन्तु इस बाबत् कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि उसका राजकीय बिलानाम भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा है भी तो वह बतौर अतिकमी ही है तथा अतिकमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। तद्नुसार अपीलान्ट को आव”यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

अतः अपीलान्ट आव”यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक

10.04.2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर